"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिंना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 जनवरी 2011—पौष 24, शक 1932

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2011

आदेश

क्रमांक 308/122/21-ब/छ. ग./2011.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 09/I-8-6/2001 (Pt.III) गोपनीय/2011 बिलासपुर दिनांक 12-1-2011 के अनुपालन में सारिणी के खण्ड 2 में वर्णित न्यायिक अधिकारियों की सेवायें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर से प्रत्याहरित करते हुए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छ. ग. शासन को सौंपता है तथा सारिणी के खण्ड 3 में विनिर्दिष्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक के लिए पदस्थ करता है.

| क्रमांक (1) | न्यायिक अधिकारियों के नाम एवं वर्तमान पदस्थापना का स्थान (2) | सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण-जिला (3) |
|---|---|---|
| 1. | श्रीमती संगीता नवीन तिवारी<br>सप्तम सिविल न्यायाधीश वर्ग-2, रायपुर | रायपुर |
| 2. | श्रीमती मधु तिवारी<br>तेरहवें सिविल न्यायाधीश वर्ग-2, रायपुर | दुर्ग |
| 3. | श्रीमती कीर्ति लकड़ा<br>सिविल न्यायाधीश वर्ग-2, कटघोरा, जिला कोरबा | कोरबा |
| 4. | श्रीमती सुनीता टोप्पो<br>सिविल न्यायाधीश वर्ग-2, डभरा | बिलासपुर |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. एस. शर्मा**, प्रमुख सचिव.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]